

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1978

निरंक

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम: महेन्द्र कुमार तिवारी 2. वर्तमान धारित पद: सहायक कमिश्नर 3. कार्यालय का नाम: पुराय शिबिवाल (जो) ६३
 म.प्र. पौ. झां. के. वि. जलपुर 4. वर्तमान वेतन: ६०५२२१०+६६००+सीरु+सीरु 5. भविष्य निधि क्रमांक: २२०२६१०६ 6. कर्मचारी संख्या: १२५५१००५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. जिला: समार तह: सागर ग्राम: रजारी (म.प्र.)	-	खॉट (30'x60') लॉट नं. 157/46	₹ 3,60,000-00 लगभग	-	खरीद	निरंक	-
2. जिला: जबलपुर तह: जबलपुर ग्राम: जलपुर	वापसीय भवन नं. 4, आशोक तिवार रासपुर जबलपुर	-	₹ 39,00,000-00	संयुक्त स्वामित्व लुमिाकुमार तिवारी (पुत्र) के नाम पर	खरीद संयुक्त रूप से स्वयं स्व पुत्र से	निरंक	-

हस्ताक्षर: महेन्द्र कुमार तिवारी
 नाम: महेन्द्र कुमार तिवारी
 पद: सहायक कमिश्नर

- * जहां लागू न हो काट दीजिए
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लखित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार